न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा – पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह भाटी (RAS)

प्रकरण संख्या
18/2013 प्रा.पत्र

दायर तारीख : 12–12–2013
फैसल तारीख : 22–05–2014

1. श्री रामा पिता पुना मीणा नि. ढेलाणा त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज. हाल सुवेरी रेडा फला तह. खैरवाडा जिला उदयपुर राज0

– प्रार्थी –

बनाम

1. फौत श्री नवला उर्फ नारायण पिता सोमा(होमा) मीणा नि. ढेलाणा त.ऋषभदेव जिला उदयपुर

1/क. श्री अशोक पिता नवला उर्फ नारायण मीणा वगैरह नि. ढेलाणा त. ऋषभदेव जिला उदयपुर

क्र.सं 1 से 16 तक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थित अधिवक्ता – 1. श्री मन्नाराम डागी.....प्रार्थी(वादी)
2. अनुपस्थित.....अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. वास्ते राजस्व वाद 123/2005 रा.वा. पूनः नम्बर पर लेने एवं न्यायालय का आदेश दिनांक 18.04.2013 को निरस्त कराने बाबत्।

प्रार्थी (वादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार यह कि वादी ने आप न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व वाद रामा बनाम नवला उर्फ नारायण आदि प्रकरण संख्या 123/2005 राजस्व वाद दिनांक 18.04.2013 को अदम हाजरी अदम पैरवी तथा अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज करने का आदेश श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिससे प्रार्थी (वादी) पीडित एवं प्रभावित होने से वाद पुनः नंबर पर लेने तथा श्रीमान माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 18.04.2013 को निरस्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र निम्न आधार पर प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी का वाद दि. 12.12.2005 को माननीय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर के न्यायालय में दर्ज हुआ उसके बाद उपखण्ड कार्यालय में विचाराधीन रहा तथा वहां से आप न्यायालय में स्थानांतरित होकर दि. 10.02.2011 को प्राप्त होकर दर्ज किया जाकर विचाराधीन था। इस प्रकार विगत आठ वर्षो की अवधि में निरन्तर 87 पेशिया पर प्रार्थी (वादी) एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर वर्णित वाद में पैरवी करते रहें। दि. 14.03.2013 को अधिवक्तागण की हडताल होने से आगामी पेशी दि. 18.04.2013 को पडी जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, न ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस संबध में कोई सूचना तारीख पेशी के बारे में प्रार्थी को नहीं दी। इसके अलावा प्रार्थी का एक अन्य राजस्व वाद 6/2012 रा.वा. श्री रामा बनाम सरकार भी श्रीमानजी के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसकी पेशी दि. 2.04.2013 से 14.11.2013 अलग–अलग पडी थी। प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित रहा था। प्रार्थी अधिवक्ता को वर्णित 123/2005 रा.वा. की पेशी तारीख के बारे में दि. 14.11.2013 को पुछताछ करने र पहली बार जानकारी हुई की प्रकरण संख्या 123/2005 दि. 18.04.2013 को वादी की अदम हाजरी दम पैरवी तथा अबेटमेण्ट के आधार पर खारिज करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त मामलें में तिवादी नं. 1 से 11 तक की तरफ से वकील श्री गजानंद शर्मा एवं श्री विवेक कंसारा ने वकालतनामा पेश या गया तथा प्रतिवादी नं. 13 व 14 की तरफ से वकील श्री प्रभूलाल मीणा ने वकालत नामा पेश किया ा। दि. 22.03.2006 को विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा र्यवाही अमल में ली गई तथा दि. 01.10.2009 को एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री किया गया। तत्पश्चात रन्तर दि. 18.04.2013 तक बटवाडा रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाने के लिए नियत चली आ रही थी। र्गत प्रकरण संख्या 123/2005 रा.वा. प्रतिवादी नं. 1 श्री नवला उर्फ नारायण पिता सोमा (होमा) मीणा की यु दि. 20.07.2011 को होना बताया गया है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना के दौरान मृत्यु हुई है इसलिए के कानूनी वारीसान को आदेश 22 नियम 12 सी.पी.सी. के प्रावधान के अनुसार वर्णित वाद में वारीसान

किया जाना कानून आवश्यक नहीं है। इसलिए वर्णित प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद प्रारम्भिक डिक्री की पालना के दौरान प्रतिवादी सं. 1 श्री नवला उर्फ नारायण पिता सोमा (होमा) मीणा की मृत्यु 20.07.2011 को हुई है तो इस प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के वारीसान के नाम कायम नहीं करने से वर्णित वादी कानूनन अबेटमेण्ट के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम उक्त मामला खारिज होने की जानकारी दि. 14.11.2013 को हुई। अधिवक्ता से परामर्श कर आदेश दि. 18.04.2013 की प्रमाणित नकल प्राप्त कर बिना देरी किए यह प्रार्थना पत्र अंदर अवधि पेश किया गया है। प्रार्थी एक गरीब आदिवासी अनपढ किसान है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी जायदाद है। प्रतिवादी नं 1 से 11 तक तथा प्रार्थी (वादी) के बीच भारी दुश्मनी रखते है जो वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के कानूनी हिस्से व कब्जे की भूमि में काश्त करने में बाधा पहुंचाते है तथा बलपूर्वक हडपने पर आमाद है। इसलिए प्रार्थी ने अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि बटवाडे का यह दावा सन् 2005 में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें लगातार विगत 8 वर्षो से 87 पेशिया भूगत चुका है। जिसमें प्रार्थी वादी को काफी रूपया खर्च हुआ है तथा समय भी बरबाद हुआ है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा पूनः नंबर पर लिया जाना न्यायहित में जरूरी है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम 1963 वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. देरी माफ करने का भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी (अप्रार्थीगण) को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई तथा प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता (प्रार्थी) की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के ताईद में एवं प्रार्थना पत्र के कथन के समर्थन में उन्होंने R.R.D. 2010 पेज 50 पैरा 7 से 14 तक, A.I.R. 1983 ORISSA पेज 121 पैरा 4,5,8,9, A.I.R. 1972 ALLAHABAD पेज 67 पैरा 8,12,14,15,17, SUPREME COURT OF INDIA 2004 (6) पेज 177 पैरा 10, CIVIL TIMES 2009 पेज 156 पैरा 5,6,8,10, RRT 2010(2) पेज 1195 पैरा 5,6, RRT 2006-07(SUPP.) पेज 657 पैरा 6,7,8 प्रस्तुत किये है। हमने विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्णित भूमि का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलें में दि. 01.10.2009 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना तहसीलदार ऋषभदेव से प्राप्त नहीं हुई थी। दि. 14.03.2013 को अधिवक्ताओं की हड़ताल होने से पेशियां परिवर्तन की गई है तथा दि. 18.04.2013 को अदम हाजरी अदम पैरवी तथा अबेटमेण्ट के आधार पर खारिज हुआ। प्रार्थी एक अनपढ़ एवं गरीब किसान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व वाद 123/2005 श्री रामा बनाम नवला आदि का पूनः नंबर पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर असलवाद के साथ संलग्न की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव जिला–उदयपुर